न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 152/2022

लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड, मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 2 डी, एफ एल टावर, गोपीनाथ मार्ग, एम आई रोड, जयपुर 302001

——प्रार्थी बैंक

बनाम

1. ओमप्रकाश गुर्जर पुत्र श्री बंशीधर गुर्जर, पता वार्ड नं0 05, डूमोली खुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. संतरा देवी पत्नि ओमप्रकाश गुर्जर, पता वार्ड नं0 05, डूमोली खुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. राजेश कुमार धेदर पुत्र श्री बन्नाराम धेदर, पता वार्ड नं0 04, बेरा वाली ढाणी, खरखरा, खेतडी, जिला झुंझुनूं राजस्थान।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः—

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा (लक्ष्मी इण्डिया फि0प्रा0लि0) — प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. एडवोकेट श्री महिपाल दारौता— अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 16.11.2022

प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने वित्तीय संस्था से दिनांक 31.10.2019 को जरिये लोन खाता संख्या — पी0एल0 8568 राशि 11,50,000/— रूपये अक्षरे ग्यारह लाख पचास हजार रूपये मात्र एवं दिनांक 31.12.2020 को लोन खाता संख्या — टी0पी0 534 राशि 4,00,000/— रूपये अक्षरे चार लाख रूपये मात्रमात्र का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके सहऋणियो ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी सम्पति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस सम्पति पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया जिसका विवरण नीचे वर्णित है।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती संतरा देवी पत्नि ओमप्रकाश गुर्जर मालिक आबादी प्लॉट खाता नं0 154, खसरा नम्बर 580/1 ग्राम डूमोली खुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग गज मे स्थित है जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग

चर्तुसीमा —

पूर्व में	— खसरा नं0 580/2
पश्चिम में	— खसरा नं0 596 एवं रास्ता
उत्तर में	— रास्ता
दक्षिण में	— खसरा नं0 580/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 15:09:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

प्रार्थी कम्पनी अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार भारतीय रिजर्व बैक अधिनियम, 1934 की धारा 45–झ के खंड (च) में यथा निर्धारित एक सौ करोड रूपए से अधिक की आस्ति वाली गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी है जिसको केन्द्रीय सरकार (भारत सरकार) के वित मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.02.2020 को जारी अधिसूचना का0आ 856 (अ) के द्वारा पचास लाख रूपए और उससे अधिक तथा दिनांक 12.02.2021 को जारी अधिसूचना का0आ 652 (अ) के द्वारा बीस लाख रूपए और उससे अधिक के सभी प्रतिभूत ऋणों के संबंध में प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रयोजनो के लिए वितीय संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीकम व अतिदेय होने पर दिनांक 05.12.2021 को अकियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि लोन खाता संख्या पी0एल0 8568 एवं टी0पी0 534 कुल राशि 20,33,019/–रूपये (अक्षरे बीस लाख तेतीस हजार उन्नीस रूपये) दिनांक 11.02.2022 तक शेष व दिनांक 11.02.2022 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 12.02.2022 को रजि0 नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी पुनः देय राशि का भुगतान प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को नही दिया। अप्रार्थीगण ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को नही किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड उक्त चरण संख्या 2 में वर्णित सिक्योरीटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विकय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित सम्पति जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की संख्या 2 में दिया गया है का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र से संबंधित दो जगह वाद लम्बित है। अप्रार्थीगण को ऋण चुकाने हेतु अवसर दिया जावे। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 16:09:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अप्रार्थी सं0 2 श्रीमती संतरा देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश गुर्जर के मालिकाना हक का आबादी प्लॉट खाता नं0 154, खसरा नम्बर 580/1 ग्राम डूमोली खुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग गज का पजेशन प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषिंत की जाती है कि प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 16.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 16:09:50 IST
Reason: SelfAttested